

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एसीपी 2018/2018/ दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-11(07)/एफडी/नियम/2008/ दिनांक 12.09.2008, एफ-14(01)/एफडी/नियम/2013/ दिनांक 28.06.2013 समय-समय पर यथा संशोधित में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने राज्य सेवा में 9,18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नामों के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी (चयनित वेतनमान) स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवा अवधि मय दिनांक	देय पे-बैंड चयनित वेतनमान	देय पे-ग्रेड
1	संजू मीणा	अधीक्षक, हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर	17.02.2005	17.02.2014 09 वर्ष	9300-34800	3600/-
2	सुमन बाई	अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर	12.02.2008	12.02.2017 09 वर्ष	9300-34800	3600/-
3	पुष्पा शर्मा	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	31.08.1990	31.08.2008 18 वर्ष	5200-20200	3200/-
4	प्रेमलता शर्मा	अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुर्नवास गृह, जामडोली, जयपुर	26.06.1997	26.06.2015 18 वर्ष	9300-34800	4200/-
5	मधु चौहान	अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर	11.09.1990	11.09.2017 27 वर्ष	9300-34800	4800/-
6	पार्वती देवी शर्मा	अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर	05.09.1990	05.09.2017 27 वर्ष	9300-34800	4800/-
7	मरियम्मा के.	अधीक्षक, सर पदम्पत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर	03.07.1990	03.07.2017 27 वर्ष	9300-34800	4800/-

नोट:-दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नही होने की शर्त पर ही उक्त ए.सी.पी./ चयनित वेतनमान देय होगा।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 27/02/2018

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एसीपी 2018/2018/ 421

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर/संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर/मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुर्नवास गृह, जामडोली, जयपुर/सर पदम्पत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
2. चिकित्सा अधीक्षक, हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर